न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 36/2024

1. मंदोरी पुत्री मनफूल पत्नी बलवन्त जाति मेघवाल साकिन खारी सुरेरां तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)।

–अपीलान्ट

बनाम

1. बसन्तकुमार पुत्र धर्मपाल जाति मेघवाल साकिन भुकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
2. भरतसिंह पुत्र धर्मपाल जाति मेघवाल साकिन भुकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
3. सुमेरसिंह पुत्र धर्मपाल जाति मेघवाल साकिन भुकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः– श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांट।

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या– 1, 2

निर्णय दिनांकः–

अपीलांट मंदोरी पुत्री मनफूल पत्नी बलवन्त जाति मेघवाल साकिन खारी सुरेरां तहसील ऐलनाबाद द्वारा विरूद्व निर्णय तहसीलदार नोहर दिनांक 26.06.2018 एवं पृथक से निर्णय दिनांक 05.06.2018, प्रकरण संख्या 7/2018 में वसीयत के मुताबिक इंतकाल दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, को निरस्त करवाने बाबत् अपील पेश की गई, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने मातहत अदालत में एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा भूकरका तहसील [illegible] 453/395 के ख.नं. 338/5 की 2.2510, 500/3 [illegible] हैक्टेयर भूमि मेरे दादा मनफूल पुत्र चुनीराम जाति [illegible] तहसील नोहर के नाम [illegible] जिसकी मेरे दादा ने अपने जीवन काल में ही [illegible] वसीयत दिनांक 04.09.2013 [illegible] नोटेरी पब्लिक नोहर से अपने पोत्रों रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 3 के पक्ष प्रमाणित करवा दी थी। मेरा दादा मनफूल पुत्र चुनीराम जाति मेघवाल साकिन भूकरका तहसील नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.10.31 15:43:05 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

Continue......

का दिनांक 02.10.2016 को देहांत हो गया। इसलिए बाद देहांत मनफूल पुत्र चुनीराम जाति मेघवाल साकिन भुकरका तहसील नोहर रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने मुताबिक वसीयत दिनांक 04.09.2013 के आधार पर विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के लिए तहसीलदार (भू.अ.) नोहर की अदालत में एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जो बाद सुनवाई दिनांक 26.06.2018 एवं 05.06.2018 को प्रार्थना स्वीकार किया गया, जो कि मातहत अदालत ने विधि के मान्य सिद्वान्तों के खिलाफ निर्णय किया है। जो निरस्त योग्य है।

2. विवादित भूमि पैतृक भूमि है, जो पहले रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 3 के पड़दादा चुनी पुत्र नानू के नाम दर्ज थी। मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029 ता 38 रोही मौजा भुकरका खाता संख्या 322 पेश है। उसके बाद विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 3 के दादा मनफूल पुत्र चुनीराम के नाम दर्ज हुई। जो पैतृक भूमि होना साबित है। कानूनन् पैतृक भूमि की वसीयत नहीं कि जा सकती। उसके बावजूद भी मातहत अदालत ने मनफूल के वारिसान की सहमति दर्ज करते हुए विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है। इससे यही स्पस्ट होता है कि मातहत अदालत ने निर्णय पारित करने से पूर्व कानूनी स्थिति का गहन अवलोकन नहीं किया एवं साजिसाना कार्यवाही करते हुए विधि विरूद्व निर्णय किया है, जो निरस्त योग्य है।

3. मातहत अदालत ने मनफूल पुत्र चुनीराम के वारीसान की सहमति दर्ज करते हुए निर्णय पारित किया है जबकि अपीलान्ट मनफूल पुत्र चुनीराम की पुत्री है, जिसके नाम का स्टाम्प, उसके भाई धर्मपाल ने स्टाम्प विक्रेता से प्राप्त किया है एवं स्टाम्प पर वसीयत बाबत् सहमति दर्ज की है एवं अपीलान्ट के हस्ताक्षर किये है जबकि अपीलान्ट ने वसीयत बाबत् कोई सहमति नहीं दी। अपीलान्ट 71 वर्ष की वृद्व औरत है, जो साक्षर नहीं है, अंगुठा लगाती है। इसलिए रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 3 व उसके पिता ने अपीलान्ट की भूमि हड़प करने के लिए सारी कार्यवाही साजिसाना कर अदालत को धोखे में रखकर विधि विरूद्व निर्णय करवाया है एंव ना ही अदालत द्वारा सहमति के पक्षकारो की उपस्थिति बाबत् कोई ध्यान दिया, ना ही सहमति के पक्षकार अदालत में उपस्थित हुए है, यदि पक्षकार संहमत हो तो भी मातहत अदालत को इस प्रकार की घोषणा करने का अधिकार नहीं है। मातहत अदालत ने क्षैत्राधिकर से बाहर निर्णय पारित किया है। इससे यही स्पस्ट है कि मातहत अदालत ने निर्णय पारित करने से पूर्व कानूनी स्थिति का गहन अवलोकन नहीं किया एवं साजिसाना कार्यवाही करते हुए विधि विरूद्व निर्णय किया है, जो निरस्त योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.10.31 15:43:05 IST
Reason: Self Attested

4. मातहत अदालत ने अपीलान्ट को कोई सूचना व नोटिस नहीं दिया। कानूनन् किसी भी प्रकार का निर्णय पारित करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार को सुनवायी का अवसर

Continue.........

अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर

दिया जाना आवश्यक है लेकिन पत्रावली में ऐसा कोई सबूत नहीं है। इसलिए मातहत अदालत ने प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है, जो मातहत अदालत ने विधि के मान्य सिद्वान्तो के खिलाफ निर्णय किया है, जो निरस्त योग्य है।

5. वसीयत बाबत् जो सूचना अखबार में प्रकाशित की गई है, वह अखबार स्थानीय अखबार है, जो हरियाणा में नही जाता है, इसलिए अखबार की सूचना अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुई। इसलिए बिना सुनवायी का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है।

6. मातहत अदालत ने वसीयत पत्रावली में दर्ज फर्द अहकाम दिनांक 26.06.2018 में दर्ज किया है कि वसीयत निर्विवादित स्वअर्जित खातेदार कृषि भूमि की होने के कारण मुताबिक वसीयत नामान्तरण दर्ज करने का आदेश पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं जो पृथक से निर्णय लिखा गया है वह दिनांक 05.06.2018 का है, जो फर्द अहकाम में दर्ज दिनांक से पहले का है, उसमें दर्ज किया है कि विवादित भूमि पैतृक है लेकिन वारिसान नें सहमति के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है, उसके मुताबिक वसीयत का इन्तकाल दर्ज करने में कोई आपति नहीं है। इसलिए वसीयत के मुताबिक इन्तकाल दर्ज करने का निर्णय पारित किया जाता है। निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प भूकरका में उपस्थित मौतबिरान के समक्ष सुनाया गया फर्द अहकाम में दर्ज निर्णय दिनांक 26.06.2018 एवं पृथक से निर्णय दिनांक 05.06.2018 दोनो में विरोधाभाषी तथ्य दर्ज है, जो कि साजिसाना कार्यवाही का स्पष्ट उदाहरण है। इससे यही स्पष्ट होता है कि निर्णय साजिसाना है, जो निरस्त योग्य हैं।

7. विवादित भूमि में अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा विरासतन है, जिसको हड़प करने के लिए रेस्पोडेन्ट ने सारी कार्यवाही साजिसाना कर विधि विरूद्व निर्णय पारित करवाया है, जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है।

अपील अपीलान्ट स्वीकार कर निर्णय दिनांक 26.06.2018 एवं पृथक से निर्णय दिनांक 05.06.2018 निरस्त कर विवादित भूमि का [illegible] दर्ज करने का आदेश तहसीलदार (भू.अ.) नोहर को भिजवाये।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 की ओर से श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–03 रजिस्टर्ड डाक से तामिल होनें के बाद भी उपस्थित नहीं हुये। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या–03 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.10.31 15:43:05 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

Continue.........

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

रेस्पोडेन्ट संख्या–04 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.06.20218 की अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। मनफुल पुत्र चुनीराम जाति मेघवाल निवासी भूकरका तहसील नोहर द्वारा दिनांक 04.09.2013 को अपनें पौत्रों के पक्ष में वसीयत की गई। पैतृक संपति मानते हुये एंव वारिसान की सहमती मानते हुये आदेश दिया गया है। प्रार्थीया/अपीलांट अगुंठा लगाती है लेकिन सहमती बाबत शपथ–पत्र पर हस्ताक्षर किये गये है। अपीलांट की कोई सहमती नहीं है। अपीलांट द्वारा न तो स्टाम्प खरीदा गया, ना ही हस्ताक्षर किये और ना ही सहमती दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार नोहर द्वारा अपीलांट की सहमती के बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1, 2 द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि रोही मौजा भूकरका की कृषि भूमि की वसीयत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के पक्ष के उनके दादा मनफुल पुत्र चुनीराम द्वारा दिनांक 04.09.2013 की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारान की सहमती के आधार पर ही निर्णय पारित किया गया। अपील में 02 पुत्रीयों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाहर है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय से तलबशुदा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा वसीयत के आधार पर निर्णय पारित करते समय वसीयतकर्ता मनुफुल पुत्र चुनीराम द्वारा की गई वसीयत में वर्णित भूमि वसीयतकर्ता की स्वउपार्जित भूमि है या पैतृक भूमि है, बाबत कोई रिपोर्ट नहीं ली गई एंव दिनांक 26.06.2018 को पारित निर्णय में भी स्वउपार्जित भूमि या पैतृक भूमि कोई जिक्र नहीं किया गया है। नियमानुसार कोई भी व्यक्ति स्वंय द्वारा उपार्जित संपत्ति की ही वसीय[illegible] की वसीयत नहीं कर सकता है। पैतृक संपत्ति में केवल आपनें हिस्से [illegible] संप[illegible] की वसीयत कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय [illegible] पैतृक है या स्वउपार्जित की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया एंव वसीयतकर्ता के [illegible]स्त वारिसान को सुनवाई अवसर भी नहीं दिया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Continue.........

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.10.31 15:43:05 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय भूमि पैतृक है या स्वउपार्जित की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया एंव वसीयतकर्ता के समस्त वारिसान को सुनवाई अवसर भी नहीं दिया गया।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य होने आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.06.2018 को अपास्त किया जाता है एंव पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) की जाती है कि वसीयत में वर्णित भूमि की जांच, पड़ताल कर, समस्त पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करे।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 29/9/25 को सरेइजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.10.31 15:43:05 IST
Reason: SelfAttested